44

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

चवालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

चवालीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

22...मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

22.....मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना.....		iv
प्राक्कथन.....		v

भाग-एक

पृष्ठभूमि विश्लेषण

एक.	प्रस्तावना-मंत्रालय का संक्षिप्त विवरण	1
दो.	बजटीय आबंटन	10
तीन.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)	15
चार.	राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल (एनआईआईपी)	23
पांच.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)	26
छह.	सातवीं आर्थिक जनगणना	29

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 31

अनुबंध

* समिति की 24 फरवरी, 2022 तथा 14 मार्च, 2022 को हुई बैठकों का कार्यवाही सारांश 35

* संलग्न नहीं है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री सुधीर गुप्ता
10. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
11. श्री पिनाकी मिश्रा
12. श्री रविशंकर प्रसाद
13. प्रो. सौगत राय
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. श्री गोपाल शेट्टी
16. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री बालासुरी वल्लभनेनी
20. श्री राजेश वर्मा
21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्री अहमद अशफाक करीम
23. श्री सुशील कुमार मोदी
24. श्री ए. नवनीतकृष्णन
25. श्री प्रफुल्ल पटेल
26. डॉ. अमर पटनायक
27. श्री महेश पोद्दार
28. श्री सी. एम. रमेश
29. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) 09 फरवरी, 2021 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 24 फरवरी, 2022 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 14 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1942 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति।

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय-एक

प्रस्तावना-मंत्रालय का संक्षिप्त रूपरेखा

1. संगठन और इसके कृत्य:

2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात 15 अक्तूबर, 1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रुप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित और संगठित विकास और भारत सरकार, राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारकों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नोडल एजेंसी है।

1.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्व देता है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है । मंत्रालय द्वारा जारी की गई सांख्यिकी, प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षणों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी स्रोतों द्वारा संचालित गणना तथा अध्ययनों पर आधारित होती है। मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण वैज्ञानिक प्रतिदर्श पद्धति पर आधारित होते हैं और इसका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किया जाता है। आंकड़े समर्पित फील्ड स्टाफ के जरिए संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें मदों की संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं और सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में नियमित रुप से प्रशिक्षित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता पर बल देते हुए, राष्ट्रीय लेखों के समेकन से संबंधित रीति विधानात्मक मुद्दों की जांच राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी की जांच, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा और मूल्य सूचकांकों संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मौजूदा मूल्य और लागत सूचकांकों की जांच की जाती है। मंत्रालय मानक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाते हुए और व्यापक जांच तथा निरीक्षण के बाद मौजूदा आंकड़ों पर आधारित डाटासेटों को संकलित करता है।

1.3 मंत्रालय के दो स्कंध अर्थात् सांख्यिकी स्कंध, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और कार्यक्रम कार्यान्ययन (पीआई) स्कंध है। कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध में दो प्रभाग हैं नामत: (i) अवसंरचना और परियोजना निगरानी तथा (ii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो स्कंधों के अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) है, जिसे भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से बनाया गया तथा दूसरा स्वायत संस्थान, नामत: भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

(आईएसआई) है, जिसे संसद के एक अधिनियम "भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम 1959 का 057" द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

ख. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

1.4 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानकों का विकास करता है। इसकी गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जेंडर सांख्यिकी और आर्थिक गणना तथा सरकारी सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने सहित राष्ट्रीय लेखों का संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/ संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास सांख्यिकी शामिल है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गतिविधियां मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय नामतः क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) के माध्यम से संचालित की जाती हैं। एनएसओ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास में सहायता करता है तथा ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार करता है और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण तैयार करता है।

राष्ट्रीय लेखा

1.5 राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थागत क्षेत्रों के लेन-देन के विस्तृत ब्योरों के साथ बचत के अनुमान शामिल हैं। एनएडी इन आंकड़ों को शामिल कर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है। एनएडी समय-समय पर आपूर्ति-उपयोग तालिकाएं (एसयूटी) तथा इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिकाएं (आईओटीटी) तैयार करने तथा जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। एनएडी राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मामलों पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखता है।

1.6 एनएडी राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमानों सहित राज्य की आय और संबंधित समुच्चयों के अनुमानों के समेकन पर राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा बड़े-क्षेत्रीय सेक्टरों अर्थात रेलवे, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और केंद्रीय सरकार प्रशासन के संबंध में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) और सकल नियत पूंजी सृजन (जीएफसीएफ) के राज्य स्तरीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.7 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमानों में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनएडी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के परामर्श से आर्थिक क्रियाकलाप और प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों द्वारा सकल और निवल राज्य परिवार उत्पाद (जीएसडीपी/एनएसडीपी) के तुलनात्मक अनुमानों का संकलन करता है।

1.8 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रचार-प्रसार मानकों के अनुपालनार्थ तथा इसकी अपनी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में दी गई पूर्व निर्दिष्ट सूची के अनुसार समय-समय पर जीडीपी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। वर्ष 2022 में एनएडी द्वारा विभिन्न अनुमानों को जारी करने की अनुसूची नीचे दी गई है:

<u>जीडीपी के तिमाही अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1) वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही : 28 फरवरी 2022

(2) वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही : 31 मई 2022

(3) वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही : 31 अगस्त 2022

(4) वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही : 30 नवंबर 2022

प्रथम तिमाही: अप्रैल-जून, दूसरी तिमाही: जुलाई-सितम्बर, तीसरी तिमाही: अक्तूबर-दिसम्बर, चौथी तिमाही: जनवरी-मार्च

<u>जीडीपी के वार्षिक अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1) वर्ष 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान : 07 जनवरी 2022

(2) वर्ष 2020-21 के प्रथम संशोधित अनुमान : 31 जनवरी 2022

(3) वर्ष 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान : 28 फरवरी 2022

(4) वर्ष 2021-22 के अनंतिम अनुमान : 31 मई 2022

<u>संवर्ग नियंत्रण-आईएसएस और एसएसएस</u>

1.9 मंत्रालय का प्रशासनिक प्रभाग, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्गों के कार्यालयों के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसमें उनके प्रशिक्षण, कैरियर की प्रगति और जनशक्ति आयोजना से संबंधित मामले शामिल हैं।

सांख्यिकीय सेवाएं

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

1.10 भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस), का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति-निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर इनको समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, समन्वय, प्रबोधनऔर परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में 01 नवम्बर, 1961 को किया गया था।

1.11 विभिन्न ग्रेडों पर आईएसएस के पदों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों में इस उद्देश्य के साथ वितरित किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों में उचित सांख्यिकीय सेट-अप हो जिससे वे वास्तविक, वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध करा सकें व (क) नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी (समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन और परिणाम/अंतिम मूल्यांकन सहित); और (ख) निर्णय करने के लिए विश्लेषण कर सकें।

1.12 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है। मंत्रालय भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामलों को देखता है। तथापि, आईएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की देखभाल उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है जिनमें कि वे तैनात होते हैं।

1.13 इस सेवा की भर्ती संघ लोकसेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारतीय सांख्यिकीय सेवा, फीडर संवर्ग अर्थात् अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) से प्रोन्नतितथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के आमेलन के माध्यम से की जाती है। गत वर्षों में प्रासंगिकता व पदों की संख्या के दृष्टिकोण से इस सेवा में विकास हुआ है। आरंभिक गठन और वर्तमान में विभिन्न ग्रेडों में पदों का आबंटन इस प्रकार है:

ग्रेड	संस्वीकृत पद	30.11.2021 के अनुसार संवर्ग संख्या बल	
		तैनात	रिक्ति
उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस (एचएजी+)	05	05	-
उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	18	17	01
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	136	105	31
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) और एनएफएसजी	176 #	77	99
वरिष्ठ समयमान (एसटीएस)	179	228**	-49
कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)	300*	162	138
कुल	814	594	220

#इनमें से, 30% सीनियर ड्यूटी के पद (नामत: वरिष्ठ समयमान और उसके ऊपर के पद) एनएफएसजी में रखे गए हैं।

*अवकाश, प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु रखे गए 50 पदों सहित।

**भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एसटीएस के 54 पदों को अस्थायी रूप से जेएजी में अवनति कर दिया गया है।

1.14 इस सेवा में सीधी भर्ती की प्रथम परीक्षा वर्ष 1967 में आयोजित की गई थी तथा इस सेवा के प्रथम बैच की नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई थी । अभी तक, सीधी भर्ती के 42 बैचों ने सेवा को ज्वाइन किया है । 30 अधिकारियों के नवीनतम बैच ने अगस्त 2020 को ज्वाइन कर लिया है।

1.15 आईएसएस नियमावली, 2016 में कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान है । इस सेवा में कनिष्ठ समयमान के अतिरिक्त और किसी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती है । अन्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं ।

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा

1.16 सरकार द्वारा निर्णय लेने को सुसाध्य बनाने, नीतियां तैयार करने और आयोजना बनाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करने में सहायता करने के लिए सांख्यिकी के मुख्य विनियमों के साथ अर्हक कर्मिकों के संवर्ग के रूप में दिनांक 12 फरवरी, 2002 को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) का गठन किया गया था ।

1.17 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस), सांख्यिकीय कार्य पदों का समूह-ख केन्द्रीय सिविल सेवा है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के लिए फीडर कैडर है । इसमें वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) समूह-ख राजपत्रित तथा कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) (ग्रुप ख अराजपत्रित) शामिल हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का वेतनमान क्रमश: पे मैट्रिक्स के लेवल-7 और कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का लेवल-6 है। एसएसएस संवर्ग के अधिकारी पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्यरत हैं।

1.18 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी है । मंत्रालय इस सेवा में, जिसमें भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं, की देख-रेख करता है। तथापि, एसएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की उन मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों जिनमें ये अधिकारी तैनात हैं, द्वारा देख-रेख की जाती है।

1.19 एसएसएस नियम, 2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के 90 प्रतिशत पदों पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा अर्थात कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, जबकि 10 प्रतिशत पद फीडर पद धारकों पे मेट्रिक्स लेवल-4 और लेवल-5 के सांख्यिकीय कार्यकारी पद से

पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है । अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के भर्ती नियमावली के अनुसार, सेवा में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के स्तर पर कोई सीधी भर्ती नहीं है।

1.20 दिनांक 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत पदों की संख्या तथा पद धारकों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	पदनाम	2013 के आरआर के अनुसार एसएसएस के स्वीकृत पद	30.11.2021 के अनुसार संवर्ग संख्या बल	
			तैनात	रिक्ती
1.	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	1754	1885*	1814**
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	2189	2212*	1502**
कुल क्षमता		3943	4097*	3316

*एसएसएस के भर्ती नियम, 2013 की सुसंगत अनुसूची में स्वीकृत पदों और वर्तमान पदों में अंतर एसएसएस में पदों के आगामी पद-समाप्ति/पदावनति/संवर्गीकरण के कारण हैं। संशोधित आरआर अभी जारी किया जाना है।

** शामिल किए अधिकारी जो एसएसएस को ज्याइन के लिए अनिच्छुक है लेकिन एसएसएस पदों पर कार्य कर रहे है।

ग. कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध

1.21 कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के निम्नवत उत्तरदायित्व हैं:-

एक. यह मंत्रालय अवसंरचना के ग्यारह प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़क, रेलवे, पत्तन, नागर विमानन और दूरसंचार के निष्पादन की निगरानी करता है। इन क्षेत्रों के निष्पादन का विश्लेषण किसी माह विशेष तथा किसी संचयी अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों एवं पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह और संचयी अवधि के दौरान की उपलब्धियों के संदर्भ में किया जाता है।

दो. 150 करोड़ रूपये से अधिक केंद्र क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी ऑनलाइन कंम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के जरिए की जाती है। आईपीएमडी के निरंतर प्रयास से बेहतर रिपोर्टिंग हुई और अब सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर उपक्रम ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहे हैं। वास्तविक निष्पादन लक्षित तारीखों और मात्राओं की तुलना में माइलस्टोन और वास्तविक प्रगति के प्रतिशत के संदर्भ में मापा जाता है जबकि वितीय निष्पादन प्रत्येक परियोजना संबंधी लिंक व्यय के संदर्भ में वार्षिक आधार पर आंका जाता है । आईपीएमडी निम्नलिखित रिपोर्टों को प्रकाशित करवाता है और इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, वित मंत्रालय, योजना आयोग और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजता है ।

तीन. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का कार्यान्वयन

एमपीलैड्स

1.22 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यक्रम सं्कध द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक चालू केंद्रीय क्षेत्र की योजना है । यह योजना मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के सेट द्वारा शासित है जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है । एमपीलैड योजना का मूल उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कें आदि की टिकाऊ सामुदायिक संपति के निर्माण की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक नोडल मंत्रालय के रूप में, नीति निर्माण, निधि जारी करने और योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय सदस्यों को हकदारी निधियां जारी करता है और जारी की गई निधियों, कार्यों की लागत, स्वीकृत और व्ययित निधियों की समग्र स्थिति आदि की निगरानी करता है। यह योजना भारत सरकार से माननीय सांसदों द्वारा सिफारिश किए गए विकासात्मक सामुदायिक कार्यों के सृजन के लिए उपगत करने हेतु राज्य को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान की योजना है । योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है । एमपीलैड्स की निर्धारित वार्षिक आबंटन की राशि लोक सभा तथा राज्य सभा के 790 माननीय सदस्यों के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद (प्रति वर्ष)की हकदारी के अनुसार 3950.00 करोड़ रुपए है । इस योजना के अंतर्गत सांसदों (लोकसभा व राज्यसभा दोनों) को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय परिसंपतियों के सृजन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक की पूंजी के कार्यों के लिए संबंधित जिला कलक्टरों को सिफारिश करने का विकल्प है । यह राशि एमपीलैड्स प्रभाग द्वारा प्रति वर्ष दो क्रिश्तों में जारी की जाती है । भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकरण को जारी की गई धनराशि व्यपगत नहीं होती है। जिले में बची राशि को आगामी वर्षों में उपयोग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, एक वर्ष में भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई धनराशि को बाद के वर्षों में जारी करने के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन आगे बढ़ाया जाएगा। जिला अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित विद्यमान निर्देशों के अनुसार संसद सदस्य की सिफारिश पर विकास कार्यों का निष्पादन करते हैं।

घ. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी)

1.23 भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 1 जून 2005 के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग(एनएससी) की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया । एनएससी अन्य बातों के साथ-साथ, सांख्यिकीय मामलों में नीतियां, प्राथमिकताओं और मानक तैयार करने के लिए आज्ञापित है तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित सांख्यिकीय प्राथमिकताओं तथा मानकों की निगरानी/लागू करने के लिए तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है ।

1.24 एनएससी में चार अंशकालिक सदस्यों के अलावा एक अंशकालिक अध्यक्ष है, प्रत्येक विशिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेष विशेषज्ञता एवं अनुभव रखते हैं । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, आयोग के पदेन सदस्य हैं । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् एनएससी के सचिव हैं । एनएससी में एक स्थायी सचिवालय है जिसकी अध्यक्षता एक एसएजी स्तर का अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्ययन मंत्रालय से सहायक स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की गई ।

1.25 आयोग को मुख्य कार्य देश मे सांख्यिकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यनीति तैयार करना है, इसके अलावा देश के सभी महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कार्यकलापों, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं तथा मानक तैयार करने, निगरानी तथा लागू करने के लिए एक नोडल और सशक्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है ।

ङ भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई)

1.26 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है और सांख्यिकी में शोध, शिक्षण तथा संबंधित विषयों में इसके अनुप्रयोगों, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित है । संस्थान की स्थापना वर्ष 17 नवंबर 1931 में प्रो.पी.सी. महालानोबीस द्वारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में की गई थी । कोलकाता में स्थित मुख्यालय के अलावा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के दिल्ली, बंगलुरू, चेन्नै, तेजपुर (उत्तर-पूर्व केंद्र) में केंद्र हैं तथा मुंबई, पुणे, कोयंबटूर, हैदराबाद, गिरिडीह में इसकी कुछ दूरस्थ शाखाएं हैं । संस्थान ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की प्रतिष्ठा प्राप्त की है इसे "1959 के अधिनियम संख्या 057 भारतीय सांख्यिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है" । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारतीय सांख्यिकी संस्थान को अपने कार्यकरण, शैक्षणिक कार्यकलाप तथा अवसंरचना सृजन एवं प्रबंधन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है ।

पेशकश की जाने वाली डिग्रियां/ पाठ्यक्रम

1.27 आईएसआई विभिन्न विषयों (स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, मास्टर तथा पीएचडी कार्यक्रम) के साथ सांख्यिकी गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस और समय-समय पर संस्थान द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी से संबंधित ऐसे अन्य विषयों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है जिसका प्रमुख केंद्र बिंदु सांख्यिकी तथा इसके अनुप्रयोग रहता है । कई वर्षों से, संस्थान ने शोध एवं शैक्षणिक कार्यक्रम जो प्राकृतिक रूप से परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं, के लिए एक विशिष्ट सेट विकसित किया है । यह कार्यक्रम विभिन्न सरकारी तथा गौर-सरकारी क्षेत्रों में एकत्रित विस्तृत डाटा के सांख्यिकीय मूल्यांकन की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है । शैक्षणिक कार्यक्रमों में हाल ही में आईएसआई कोलकाता में क्रिप्टोलॉजी और सुरक्षा में एम. टेक और गिरिडीह शाखा में सांख्यिकीय विधियों और विश्लेषिकी (पीजीडीएआरएसएमए) के साथ कृषि और ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल किए गए हैं।

आर. सी. बोस क्रिप्टोओलॉजी एंड सिक्यूटरिटी केंद्र

1.28 आर. सी. बोस क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्यूरिटी केंद्र की स्थापना आईएसआई कोलकाता में गणित, संगणक विज्ञान तथा सांख्यिकी में अंतर-विषयी शोध को शिक्षण, शोध के साथ-साथ क्रिप्टोलॉजी तथा साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है । राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यह क्रिप्टोग्राफिक आवश्यकताओं, अत्याधुनिक शोध कार्यकलापों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र और राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी क्षमता निर्माण के रूप में कार्य करता है । केंद्र को वित पोषण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सहायता अनुदान के एक भाग के रूप में, बजट में एक पृथक लाइन के तहत किया जाता है ।

अभिनव बहु-विषयक अध्ययन केंद्र

1.29 ज्ञान प्रसार एवं कौशल विकास क्षेत्र में अपना योगदान देने के अतिरिक्त आईएसआई ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का समाधान करने के लिए नवाचारी बहु-विषयक अनुप्रयोगों पर कार्य करना जारी रखा है । इसके लिए, आईएसआई ने दो उत्कृष्टता

केंद्र, आईएसआई कोलकाता में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और आईएसआई दिल्ली में सेंटर फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ़ क्लाइमेट, फ़ूड, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट (सीईसीएफ़ईई) की स्थापना की है। ये केंद्र मशीन लर्निंग और क्रिप्टोलॉजी और जलवायु परिवर्तन सहित अनुसंधान के अत्याधुनिक अंतःविषय क्षेत्रों में काम करते हैं। हाल के उदाहरणों में मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में किए गए आईएसआई के योगदान, वन्यजीवों के विलुप्त होने के जोखिम को समझना, उपभोक्ता विश्वास का सटीक मूल्यांकन, विकास के साथ-साथ एन्क्रिप्शन कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन,जाली नोटों के जोखिमों का मूल्यांकन,रक्षा उत्पादन प्रणालियों में सुधार, जिन कस्बों और शहरों की उनकी अंतर्निहित जटिलता द्वारा कैलिब्रेट किया गया, उनके स्वच्छता के स्तर को समझते है,राष्ट्रीय कोयला सूचकांक का विकास शामिल हैं। आईएसआई के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीव विज्ञान को समझने, इसके प्रसार और मॉडलिंग के महामारी विज्ञान के पहलुओं और संक्रमणों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस, क्रिप्टोलोजी और साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान, प्रतिरूप अभिज्ञान, अभिकलनात्मक इंटेलीजेंस, जैव सूचना विज्ञान तथा सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण आदि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान भी दिए है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए अध्ययनों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है।

1.30 संस्थान ने सांख्यिकी; गणित; कंप्यूटर विज्ञान; मात्रात्मक अर्थव्यवस्था; गुणवत्ता; विश्वसनीयता और परिचालन अनुसंधान; गुणवत्ता प्रबंधन विज्ञान; क्रिप्टोलोजी और सुरक्षा; पुस्तकालय और सूचना विज्ञान; सांख्यकीय पद्धति और विश्लेषण तथा जनता को बड़े पैमाने पर लाभ पहुँचाने के लिए उभरते क्षेत्रों में भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को भी बढ़ावा देते हुए बहु-विषयक अध्ययनों के प्रोत्साहन द्वारा इसकी पहुँच को विस्तार देने के लिए पहलें की है।

अध्याय-दो

बजटीय आबंटन

बजट 2022-23

मंत्रालय के लिए मांग सं. 96 के तहत अनुदान मांगों में वर्ष 2022-23 के लिए 5398.08 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव शामिल है । राजस्व के तहत 5378.08 करोड़ और पूंजी के तहत 20.00 करोड़ रुपए की मांग है । मंत्रालय ने दो योजनाएं, नामतः (i) क्षमता विकास योजना सीडी और (ii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) शुरू करने का प्रस्ताव दिया है ।

2.2 दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹ 426 करोड़ (बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली 50%) की लागत वाली विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना 'भारत में सांख्यिकी की गुणवता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआईक्यूएसआई)' को सीएसआई सह सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा एक नई योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था और माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। हालांकि, वैश्विक महामारी की स्थिति और अन्य अप्रत्याशित कारणों से कुछ गतिविधियों को अव्यवहार्य कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के समग्र बजट में काफी कमी आई। चूंकि परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और परियोजना प्रभावी नहीं थी, इसलिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने योजना से बाहर निकलने के मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया। योजना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केवल सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।

<u>गैर योजनागत 2022-23</u>

2.3 वर्ष 2022-23 में मंत्रालय का गैर-योजना बजट 870.97 करोड़ रुपए मुख्य रूप से वेतन उन्मुख है क्योंकि सांख्यिकी स्कंध (एनएसओ) का प्रमुख कार्य गणना/सर्वेक्षण करना, डेटा एकत्र करना, विश्लेषण और प्रचार- प्रसार करना है, जिसमें कर्मचारियों को कार्य पर लगाना होता है । वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय के लिए गैर-योजना बजट के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

वस्तु शीर्ष	बजट (₹ लाख में)	कुल गैर-योजना बजट का %
वेतन	48034.08	55.15%
घरेलू यात्रा	932.81	1.07%
विदेश यात्रा	45.27	0.05%
कार्यालय व्यय	1371.89	1.58%
किराया दरें और कर	3414.06	3.92%
प्रकाशन	48.66	0.06%
अन्य प्रशासनिक व्यय	206.95	0.23%
आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान	32170.00	36.94%
अन्य	873.28	1.00%
कुल	87097.00	

2.4 मंत्रालय भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को इसके कामकाज, शैक्षणिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण और इसके रखरखाव के लिए बजट के गैर-योजना घटक के हिस्से के रूप में सहायता अनुदान प्रदान करता है। आईएसआई अनुसंधान, शिक्षण तथा सांख्यिकी, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अनुप्रयोग के प्रति समर्पित है। संस्थान ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त किया। आईएसआई अधिनियम की धारा 4, अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित अन्य विषयों में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आईएसआई को सशक्त बनाता है। मंत्रालय के बजट से वर्ष 2022-23 के दैरान गैर योजना आवंटन के रूप में, संस्थान को सहायता अनुदान के रूप में 32170.00 लाख रुपए की राशि रखी गई है।

2.5 वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग गैर योजना बजट 1.44 करोड़ रुपए आंका गया है।

2.6 गैर-योजना आवंटन 2021-22 (आरई) में ₹ 756.50 करोड़ से बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹ 870.97 करोड़ (बीई) हो गया है।

योजनागत 2022-23

2.7 मंत्रालय दो केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, नामत: क्षमता विकास (सीडी) योजना और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय के लिए 2022-23 में कुल योजना बजट प्रस्ताव 4527.11 करोड़ रुपए है।

2.8 कुल योजना बजट 4527.11 करोड़ रुपए में से 562.10 करोड़ रुपए को क्षमता विकास (सीडी) योजना के लिए अलग किया गया है । सीडी योजना के व्यय का वस्तु-शीर्षवार आवंटन इस प्रकार है:

वस्तु शीर्ष	बजट (₹ लाख में)	कुल योजना बजट का %
वेतन	1031.00	1.83%
घरेलू यात्रा व्यय	3735.64	6.65%
विदेश यात्रा व्यय	100.00	0.18%
कार्यालय व्यय	1468.00	2.61%
किराया दरें और कर	660.00	1.17%
प्रकाशन	325.00	0.58%
अन्य प्रशासनिक व्यय	1267.60	2.26%
विज्ञापन और प्रचार	1606.20	2.86%
व्यावसायिक सेवाएं	33113.45	58.91%
सूचना प्रोद्योगिकी	2636.16	4.69%
मशीनरी व उपकरण	300.00	0.53%
प्रमुख कार्य	1700.00	3.02%
एन.ई. राज्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4307.00	7.66%
अन्य	3959.95	7.04%
कुल	56210.00	

2.9 एमपीलैड्स के अंतर्गत बजट अनुमान 2022-23 में ₹3965.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है.

2.10 **सहायतानुदान (स्कीम के अंतर्गत):** वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्य 3982.81 करोड़ रुपए है, जिसमें i) क्षमता विकास योजना गैर-पूर्वोत्तर के लिए 32.81 करोड़ रुपए और ii) एमपीलैड योजना के लिए 3950.00 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बीई, आरई और वास्तविक व्यय का योजना-वार आवंटन

(योजनागत बजट)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2019-20	2020-21			2021-22			2022-23
		वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	व्यय (दिनांक 31.12.21 तक ई-लेखा पर आधारित)	बीई
केंद्रीय क्षेत्र योजना (1 से 2):									
1	क्षमता विकास	564.72	706.00	713.96	647.14	598.36	347.00	158.15	562.10
2	एनपीआईक्यूएसआई					28.52	0.00	0.00	0.01
कुल एमओएसपीआई (बिना एमपीलैड्स)		564.72	706.00	713.96	647.14	626.88	347.00	158.15	562.11
	कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध								
3	एमपीलैड्स	3642.50	3960.00	2.00	1108.15	20.10	2633.50	635.11	3965.00
सकल योजना कुल (एमओएसपीआई)		4207.22	4666.00	715.96	1755.30	646.98	2980.50	793.26	4527.11

2.11 क्षमता विकास योजना के अंतर्गत 706 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 में 58.86 करोड़ रुपए; 598.36 करोड़ रुपए (73.53% की कमी) के बजट आवंटन की तुलना में वर्ष 2021-22 में 440 करोड़ रुपए की निधि उपयोगिता में कमी आई है। बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भारी विसंगति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जैसा कि नीचे बताया गया है:

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए:

वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षमता विकास (सीडी) योजना के अंतर्गत बीई आवंटन की तुलना में निधियों की उपयोगिता में कमी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यय सीमा/प्रतिबंधों/दिशा-निर्देशों और वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न मामलों के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षमता विकास योजना के अंतर्गत कई गतिविधियां अर्थात पर्यटन, अधिकारियों के प्रशिक्षण, कार्यशालाओं/सेमिनारों, प्रचार आदि को यथाकल्पित वास्तविक रूप से संचालित नहीं की जा सकी, और इन गतिविधियों के लिए आवंटित धनराशि व्यय नहीं की जा सकी।

- साथ ही, वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस) क्षमता विकास योजना की एक उप-योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां बाधित हुई, और, जिसके परिणामस्वरूप राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी वास्तविक उपलब्धियों और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके। इस प्रकार, वे परिकल्पना के अनुसार अपनी किस्तों की मांग नहीं कर सके।

- राष्ट्रीय एकीकृत सूचना मंच (एनआईआईपी) के लिए प्रावधानित निधियों को परियोजना में संलग्न विक्रेता द्वारा उपलब्धियों की प्राप्ति करने के साथ जोड़ा गया था। विक्रेता अनुमानित उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप व्यय कम हो गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए:

इसके अलावा, क्षमता विकास योजना के बजट अनुमान 2021-22 में कुल आवंटित राशि 598.36 करोड़ रुपए में से दिनांक 31.12.2021 तक केवल 158.15 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके। बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में व्यय में कमी के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

क्षमता विकास योजना के अंतर्गत एक आवंटन आर्थिक गणना (ईसी) उप-योजना के लिए था। आर्थिक गणना के लिए बीई 2021-22 के लिए 280 करोड़ रुपये था और आर्थिक गणना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2021 तक व्यय 0.63 करोड़ रुपये था, जो निम्नलिखित कारणों से काफी कम था:

- 7वें आर्थिक गणना के संचालन के लिए लगे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) -स्पेशल पर्पज वेहिकल - एसपीवी को शेष भुगतान, 7वें आर्थिक गणना के अंतिम भुगतान संबंधी उपलब्धि प्राप्त न होने के कारण नहीं किया जा सका।

- वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण, 7वीं आर्थिक गणना के लिए अधिकारियों के क्षेत्र का दौरा, नियोजित अध्ययन, बैठकें/सेमिनार प्रतिबंधित रहे। इन गतिविधियों को परिकल्पना के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जा सका और प्रावधानित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

- आर्थिक गणना के अंतर्गत सहायता अनुदान (सामान्य) में किए गए आवंटन का उपयोग नहीं किया जा सका जैसा कि 7वें आर्थिक गणना परियोजना को बंद करने से संबंधित गतिविधियों के विस्तार और सांख्यिकीय व्यापार रजिस्टर (एसबीआर) की तैयारी से संबंधित मुद्दों के कारण परिकल्पित किया गया था।

- क्षमता विकास योजना की सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस) उप-योजना के अंतर्गत व्यय दिनांक 31.12.2021 तक बीई 2021-22 के 33.44 करोड़ रुपये की तुलना में 5.08 करोड़ रुपये है । वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरंभ की जाने वाली गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वास्तविक उपलब्धियों और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके। इस प्रकार, वे अगली किस्त नहीं मांग सके।

- राष्ट्रीय एकीकृत सूचना मंच (एनआईआईपी) के अंतर्गत व्यय विक्रेताओं द्वारा एनआईआईपी की प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त करने में देरी के कारण नहीं हो सका। साथ ही, निर्माण गतिविधियों के लिए प्रावधानित धनराशि राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (नस्टा), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कम व्यय के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण बजट का उपयोग करने में असमर्थता दर्शायी है।"

अध्याय-तीन

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस)

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर, 1993 में शुरू की गई थी ताकि स्थायी सामुदायिक परिसंपतियों के सृजन के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने एवं उनके निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में शुरू किए जाने के लिए स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना सहित बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके। शुरूआत में, एमपीलैड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंप दिया गया था। एमपीलैड्स से संबंधित विषय को अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। योजना, दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जा रही है जिन्हें समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है । वर्तमान दिशानिर्देश जून, 2016 में जारी किए गए थे।

3.2 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैडस) योजना की मुख्य विशेषताएं:

क. एमपीलैड्स एक केन्द्रीय योजना है जो भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित पोषित की जाती है जिसके अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं।

ख. योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां अव्यपगत हैं अर्थात किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों को पात्रता के अध्यधीन आगामी वर्षों में ले जाया जाता है। वर्तमान में, प्रति संसद सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक पात्रता ₹5 करोड़ है।

ग. एमपीलैड्स के अंतर्गत, संसद सदस्य की भूमिका कार्यों को सिफारिश करने तक सीमित है । तत्पश्चात, संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर स्वीकृत, क्रियान्वित और पूर्ण करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का है ।

घ. निर्वाचित लोक सभा सदस्य कार्यों की सिफारिश अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकते हैं। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन वाले राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देशभर में कहीं भी कार्यों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं।

ङ. न्यासों/सोसाइटियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए में एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.5.1 और पैरा 3.21.5 में उल्लिखित कुछ अपवादों के साथ प्रत्येक न्यास/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए ₹50 लाख की सीमा है। एक संसद सदस्य न्यासों/सोसाइटियों से संबंधित कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों में से एक वितीय वर्ष में केवल ₹100 लाख तक की निधियों की सिफारिश कर सकता है।

च. बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान, बादल फटने, कीटों के आक्रमण, भूस्खलन, रेतीले तूफान, भूकंप, अकाल, सुनामी, आग और जैविक, रासायनिक, विकिरणीय संकटों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के गैर-प्रभावित क्षेत्रों के संसद सदस्य भी उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए ₹25 लाख की अधिकतम सीमा तक अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।

छ. देश के किसी भी भाग में गहन प्राकृतिक आपदा (जो भारत सरकार द्वारा निर्णीत और घोषित की गई है) के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकाधिक 1 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है । इस मामले में निधियों को प्रभावित राज्य के राज्यीय नोडल विभाग के संबंधित सांसद अनुमत्य कार्यों के निष्पादन के लिए

जारी किया जाएगा क्योंकि इस बारे में दिनांक 26.10.2018 के मंत्रालय के का.ज्ञा. सं सी-19/2017/एमपीलैड्स के संदर्भ में इस बारे में संशोधन किया गया था ।

ज. अनुसुचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की बसावट वाले क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से एमपीलैड्स निधियों का 15% अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों तथा 7.5% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा । यदि किसी लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के आबादी अपर्याप्त हो तो इस तरह की निधि को अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में और विलोमतः प्रयोग किया जा सकता है ।इसके अलावा यदि कोई लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी अपर्याप्त हो तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (दोनों को एक साथ रखकर) क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपतियों के सृजन के लिए काम करने की सिफारिश कर सकते है लेकिन उनके चुनाव वाले राज्य के भीतर ।

झ. यदि एक निर्वाचित संसद सदस्य अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा दोनों हेतु एमपीलैड्स निधियों का योगदान देने के आवश्यकता महसूस करता है तो सांसद इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक वितीय वर्ष में पात्र कार्यों के लिए अधिकाधिक `₹ 25 लाख तक की सिफारिश कर सकता है । संसद सदस्य का यह कृत्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को निचले स्तर तक बढ़ावा देगा ।

ञ. संसद सदस्य तिपहिया साइकिल (मैनुअल / बैटरी संचालित / मोटर चालित), मोटर चालित / बैटरी संचालित पहिएदार कुर्सी तथा कृत्रिम अंगों और दृष्टि एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सहायता /सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सहायतार्थ प्रतिवर्ष अधिकतम ₹20 लाख तक सिफारिश कर सकता है ।

ट. संसद सदस्य सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वितीय सहायता प्राप्त कर रहे हों और स्कूलों के मामले में जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथा कॉलेजों के मामले में जो राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हों और छात्रों से व्यावसायिक शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हों । इस प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी अनुमत्य मदों के लिए बिना किसी उच्चतम सीमा के एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं। सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं और न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; संबंधित शिक्षण संस्थान का संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष पर दिशानिर्देशों के तहत न्यासों/सोसाइटियों पर लगाई गई अधिकतम सीमा अर्थात ₹50 लाख की शर्त लागू होगी (पैरा 3.21)।

ठ. ऊर्जा किफायती सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों, शवदाहगृहों और कब्रिस्तानों/शवदाह भूमियों पर निर्माणों तथा सामुदायिक प्रयोग के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को भी अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों के अनुबंध IV (ई) सैक्टर VII और IV (ई) में शामिल किया गया है । स्टेबल क्लियरिंग और सूपर सीडर मेशीनों की खरीद कुछ शर्तों की पूर्ति के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत भी अनुमेय है।

ड. संसद सदस्य 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी योजना जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए निधियों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं ।

ढ. संसद सदस्य शैक्षणिक संस्थानों, गांवों और चुनिंदा स्थलों पर वाई-फाई प्रणाली की संस्थापना के लिए कुछ शर्तों के अधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं ।कुछ शर्तों के अधीन लैप टॉप की खरीद, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अनुमेय है ।

ण. एमपीलैड योजना के उद्देश्य से प्रत्येक सांसद के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां जिला प्रशासनों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों (आईडीबीआई बैंकों सहित)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंकों) जो उनके प्रायोजक के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं, में जमा कराई जाती हैं ।

त. एमपीलैड योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों और क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों की भूमिका एमपीलैड संबंधी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है ।

प्रभाव

3.3 प्रारंभ से ही योजना ने स्थानीय लोगों को उनकी विभिन्न विकासात्मक प्रकृति की आवश्यकताओं जैसे पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर परंपरागत ऊर्जा, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड/स्टाप, सड़कें, फुटपाथ और पुल, खेल इत्यादि को पूरा करके उन्हें लाभान्वित किया है। इन कार्यों को एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है।

3.4 मंत्रालय ने एमपीलैड्स के संबंध में निम्नलिखित लिखित उल्लेख भी किए हैं:

एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा योजना की शुरूआत से 31.12.2021 तक 55844.75 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई है। इसी अवधि के दौरान, जिला प्राधिकरणों को विभिन्न मदों के लिए 56962.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी तथा इसके संबंध में 54330.05 करोड़ रुपए का व्यय कर लिया गया है ।

- वैश्विक महामारी कोविड-19 के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड योजना को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया, इसलिए एमपीलैड योजना के तहत ₹3950.00 करोड़ का बजटीय परिव्यय वित मंत्रालय के अधीन रखा गया था।
- व्यय विभाग ने दिनांक 16-3-2021 के अपने का.ज्ञा. क्रमांक ओ.एम. सं.56(2)/पीएफ़-II/2006(भाग), के द्वारा एमपीलैड्स के अंतर्गत मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 से संबंधित लंबित किश्तों को जारी करने के लिए ₹ 2,200.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की जिसमें से मंत्रालय वित वर्ष 2020-21 में ₹ 1107.50 करोड़ की 443 किश्तें जारी कर सका ।
- व्यय विभाग ने दिनांक 28-5-2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 469 लंबित किश्तों को जारी करने के लिए ₹1172.50 करोड़ की राशि आवंटित की। परिणामस्वरूप , चालू वित वर्ष 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) में ₹635.00 करोड़ जारी किए गए हैं।
- सरकार ने अब वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड योजना को बहाल कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एमपीलैड योजना को जारी रखा है।
- वित वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान, मंत्रालय मौजूदा एमपीलैड दिशानिर्देशों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी करने के मानदंडों को पूरा करने पर, एक किश्त में ₹ 2.00 करोड़ प्रति सांसद की दर से एमपीलैड्स निधि जारी करेगा।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान, प्रति संसद सदस्य (सांसद) की वार्षिक पात्रता ₹ 5.00 करोड़ रहेगी जो मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ₹ 2.50 करोड़ की दो किश्तों में जारी की जाएगी।"

क्षमता विकास योजना के निष्पादन की निगरानी प्रणाली

- मंत्रालय ने मासिक समीक्षा करने के उद्देश्य से मासिक व्यय योजना (एमईपी) तैयार की है और साथ ही बजट के उपयोग की त्रैमासिक प्रगति और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है। जहाँ भी आवश्यक हो, व्यय की बारीकी से निगरानी की जा रही है; ताकि बड़े पैमाने पर अव्यपगत बजट प्रावधानों से बचा जा सके।
- सीडी योजना के प्रत्येक घटक के लिए, भौतिक लक्ष्यों को एमईपी से जोड़ा जाता है और नियमित बैठकों के माध्यम से प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाती है।
- योजना के तहत धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मासिक/तिमाही व्यय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की निगरानी प्रणाली:-

- योजना के कार्यान्वयन संबंधी चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिवों के साथ वार्षिक अखिल भारतीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।
- योजना के उद्देश्य के अनुसार व्यवहार्य पाए जाने पर विभिन्न हितधारकों की सिफारिशों/सुझावों पर समय-समय पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों में संशोधन किया जाता है।
- योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को विभिन्न हितधारकों द्वारा एमपीलैड्स पोर्टल की सहायता से देखा और मॉनिटर किया जा सकता है।
- मंत्रालय को निधियों को समय पर जारी करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन आवश्यक योग्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जिला अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर विभिन्न राज्यों/जिलों का दौरा करते हैं।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों के उपाय के रूप में, 01.04.2014 से 31.03.0219 की अवधि के दौरान एमपीलैड्स के तहत जिलों में जिलों में सृजित परिसंपतियों के लिए देशभर के 216 नोडल जिलों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021 में एमपीलैड्स कार्यों का एक तृतीय-पक्ष वास्तविक मूल्यांकन किया है। । एर्जेसी ने 31 अगस्त, 2021 को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। तदनुसार, यह मंत्रालय प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों में संशोधन और पोर्टल में सुधार कर रहा है।

3.5 एमपीलैड योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय वर्ष 2019-20 में 3642.50 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में 1108.15 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में 635.11 करोड़ रुपए (दिनांक 31.12.2021 के अनुसार) था । समिति, एमपीलैड्स निधियों की उपयोगिता/निर्मुक्त में कम होते रुझान के कारण जानना चाहती है; मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

"एमपीलैड्स निधियों के उपयोग /निर्मुक्ति में घटती प्रवृति के कारण निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में

सांसदों को 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 5 करोड़ रुपये की वार्षिक पात्रता जारी करने के लिए एमपीलैड योजना के लिए वार्षिक बजटीय आवंटन 3950 करोड़ रुपये है। किस्तें मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती हैं। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2019-20 के दौरान, 3950 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन की तुलना में, 3642.50 करोड़ रुपये की राशि नोडल जिलों से प्राप्त उपयुक्त रिलीज प्रस्तावों के आधार पर जारी की गई थी।

वित्त वर्ष 2020-21 में

वित्त वर्ष 2020-21 में एमपीलैड्स योजना के लिए 3950 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। हालाँकि, वैश्विक महामारी कोविड-19 के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन के लिए, सरकार द्वारा अप्रैल, 2020 में दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स योजना को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार एमपीलैड्स योजना का ₹ 3950 करोड़ का बजटीय परिव्यय वित्त मंत्रालय के निपटान में रखा गया था ।

इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने 22-03-2021 को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2019-20 से पहले के वित्तीय वर्षों की लंबित किस्तों को जारी करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का आवंटन इस शर्त के अधीन किया कि 31-03-2021 तक लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 की लंबित किस्तें जारी करने को लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी । यह राशि 2019-20 तक पहले से स्वीकृत कार्यों के संबंध में लंबित किस्तों को जारी करने के लिए यह राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के भीतर समाप्त होनी थी। एमपीलैड्स प्रभाग ने नोडल जिला प्राधिकरणों से प्राप्त उपयुक्त प्रस्तावों के आधार पर मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम कुछ दिनों में 31-03-2021 तक 1107.5 करोड़ रुपए (2.5 करोड़ रुपए की 443 किस्त) जारी किए। और प्रत्येक किस्त स्थापित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अलग से स्वीकृत की जाती है। मंत्रालय उन नोडल जिलों को किस्तें जारी करने में सक्षम नहीं था जहां से उपयुक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे और जहां भारत के चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव / उप-चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू की थी।

इसलिए, उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, एमपीलैड्स के तहत बचत निम्न कारणों से थी (i) वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स एमपीलैड्स योजना को संचालित नहीं करने के सरकार के प्रारंभिक निर्णय (ii) मार्च 2021 में प्रसंस्करण मामले के लिए 10 दिनों की शॉर्ट विंडो के कारण थी। (iii) 5 मतदान वाले राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता और (iv) जिला प्रशासन से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति न होना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में

वर्ष 2021-22 में दिनांक 03.06.2021 के आर्थिक कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जीएफआर 2017 के नियम 61 (परिशिष्ट 10) के तहत ₹ 1172.50 करोड़ और 2019-20 के लिए एमपीलैड्स के तहत लंबित देनदारियों को समाशोधन के लिए

पहला पूरक प्राप्त किया गया । नवंबर 2021 में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के दौरान और 2025-26 तक एमपीलैड योजना को बहाल करने और जारी रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, 2021-22 के बजट में ₹2633.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें से 15 फरवरी, 2022 तक ₹934.50 करोड़ का व्यय किया गया है। व्यय की धीमी गति इस तथ्य के कारण है कि अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के माध्यम से केवल जनवरी, 2022 में धनराशि प्राप्त हुई है।"

3.6 अनुदान मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में दिनांक 24.02.2022 को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते समय, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने एमपीलैड्स पर निम्नलिखित निवेदन किया:

"इसका उद्देश्य माननीय सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास के स्वरूप के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। यह टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है। हमेशा की तरह, वार्षिक बजट, प्रति सांसद *5* करोड़ रुपये है। *790* सांसदों के लिए *05* करोड़ रुपये के हिसाब से यह *3,950* करोड़ रुपये बनते हैं। पात्रता *05* करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। इस वर्ष *2021-22* में कैबिनेट ने *2* करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया है। हम उस किस्त में से दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में जिले को देते हैं। यह कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हमारे पास कार्य की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश हैं, और पिछले कुछ वर्षों में एमपीलैड्स की किस्तों में वृद्धि हो रही है। यह किस्त की संरचना रही है।"

3.7 एमपीलैड्स के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में, मंत्रालय के सचिव ने निम्नलिखित मौखिक प्रस्तुति दी:

"एमपीलैड्स के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बाध्यता यह है कि हमारे पास दिशानिर्देश हैं। हम जो भी दिशा-निर्देश हैं, उनका पालन करते हैं। मुझे आज सुझाव मिला है कि हमारे दिशानिर्देश थोड़े पुराने हैं, जो कि वर्ष 2016 के हैं। वास्तव में, मैं यहां जानकारी देना चाहता हूं कि हम वास्तव में दिशानिर्देशों में संशोधन कर रहे हैं। हम राज्य प्राधिकरणों और सभी हितधारियों के साथ परामर्श प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। हमने वास्तव में कोविड से पहले इसकी शुरुआत की थी।"

3.8 सचिव द्वारा यथा उल्लिखित "हितधारकों" के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे "अधिकतर हम इसे जिला अधिकारियों के साथ और उनके अनुभव के अनुरूप कार्यवाही रहे हैं"।

3.9 धनराशि जारी करने में देरी हो जाती है क्योंकि जिला प्राधिकारी समय पर अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं। इस मुद्दे पर मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नलिखित निवेदन किया है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

"एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना पूरी तरह से निधि से संबंधित मानदंडों को पूरा करने और निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उन दस्तावेजों को अव्ययित और अस्वीकृत शेष के मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ जांच के क्रम में पाए जाने के अध्यधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जैसे मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर), उपयोगिता प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र विलंब से प्रस्तुत करने से लंबित किस्तों के जारी होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

एमपीलैड्स निधियां जारी करने के प्रयोजन के लिए, मंत्रालय को कार्यान्वयनाधीन कार्यों के लिए जिला प्राधिकारियों को पूर्व में जारी किस्तों हेतु जिला प्राधिकारियों से समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रारूप एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-VIII में दिया गया है। व्यक्तिगत कार्य-वार उपयोगी/समापन प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों से जिला प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि एमपीलैड्स ऐसी योजना आर्किटेक्चर के तत्वावधान में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। उपयोगिता प्रमाणपत्रों पर जिला प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है। मंत्रालय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय जिला प्राधिकरण द्वारा, प्रारंभिक और समापन आंकड़ों, अर्जित ब्याज की राशि, अपनाई गई जांच परिपाटियों के विवरण पर विशेष बल देता है।

जारी करने के प्रयोजन हेतु, मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) की भी आवश्यकता होती है। एमपीआर गतिशील प्रकृति की होती हैं जो संबंधित निधि जारी करना/व्यय के साथ उत्तरोत्तर बदलती रहती हैं और कार्यों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति पर संचयी विवरण शामिल होते हैं जैसे कि अनुशंसित स्वीकृत, चालू कार्यों की संख्या अव्ययित और अस्वीकृत शेष की सूचना, पूर्ववर्ती सांसद से वितरण पर प्राप्त राशि, अर्जित ब्याज, जिला प्राधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या आदि। मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक नए एमपीआर की विधिवत जांच की जाती है और मंत्रालय द्वारा जिला प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत पिछले एमपीआर के साथ तुलना की जाती है और विसंगतियां, यदि कोई हो, जिला प्राधिकारियों को बताया जाता है, उन्हें तब उचित कार्रवाई करनी होती है और इस प्रकार पाई गई विसंगतियों पर स्पष्टीकरण के साथ संशोधित एमपीआर प्रस्तुत करनी होती है। एमपीआर का प्रारूप एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-V। में दिया गया है। पदाधिकारियों की एक समर्पित टीम को विशेष रूप से यह कार्य सौंपा गया है।

निधियां जारी करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र भी जरूरी है । लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के सभी उपनियमों की बारीकी से जांच की जाती है और यहां तक कि शब्दों/आंकड़ों में मामूली विसंगतियों पर भी जिला प्राधिकारियों के साथ विचार किया जाता है, जिन्हें लेखा-परीक्षा फर्म के साथ विसंगतियों को उठाना होता है और उपनियम वार संशोधित लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र फिर से जमा करना होता है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का प्रारूप एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-नौ में दिया गया है।

एमपीलैड्स निधियों के उप-इष्टतम उपयोगी के मुद्दे का समाधान करने के लिए,

(एक) मंत्रालय ने एमपीलैड्स पर वार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभागों के साथ एमपीलैड्स निधियों के उप-इष्टतम उपयोग के मामले पर बार-बार विचार किया है, अंतिम बार 17 जनवरी, 2020 को 22वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक के अवसर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभाग के साथ विचार किया गया है ।

(दो) सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उन मामलों को सख्ती से निपटाने के लिए निर्देशित दिए गए थे जहां धन के उपयोग में उचित स्तर का सुधार नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश किया गया है कि एक वर्ष में जारी की गई धनराशि का उपयोग उसी वर्ष में किया जाए ताकि निधियों को जारी करने में विलंब देरी को कम किया जा सके और अव्ययित शेष के रूप में बैंक खातों में निधियों को रखने/निष्क्रिय होने की घटनाओं को कम किया जा सके।

(तीन) जिला प्राधिकारियों को भी निदेश दिया गया है कि वे धन के उपयोग में तेजी लाएं (उचित प्रक्रियाओं का पालन करके) और संस्वीकृत अनुमोदन के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में पैरा 3.12 और 3.13 में निर्धारित समय-सीमा का लगन से पालन करें।

(चार) मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के नोडल विभागों को एमपीलैड योजना के तहत निधियों के कार्यान्ययन और उपयोग की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यदि अब तक ऐसा नहीं किया गया है। उनसे बार-बार अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष में कम से कम एक बार जिला अधिकारियों और

सांसदों के साथ मुख्य सचिव/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करें और ऐसी बैठकों के कार्यवृत मंत्रालय को भेजें।

(पांच) मंत्रालय के अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/जिलों का दौरा करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है जो कार्यों के निष्पादन की गति को तेज करने में सकारात्मक योगदान देता है।

(छह) मंत्रालय का एमपीलैड्स पोर्टल के प्रस्तावित सुधार के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा एमपीलैड्स में मौजूदा कमियों को दूर करने का विचार है। मंत्रालय मौजूदा एमपीलैड्स पोर्टल में अतिरिक्त प्रौद्योगिकी-सक्षम कार्यात्मकताओं को शामिल करना चाहता है और इसे एक तकनीकी समाधान में परिवर्तित करना चाहता है।"

अध्याय-चार

राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पटल (एनआईआईपी)

राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पटल (एनआईआईपी) को आधिकारिक सांख्यिकी प्रक्रियाओं के स्वचालन और आधिकारिक सांख्यिकी के एक राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस के विकास (एनडीडब्लूओएस) के लिए एक पटल के रूप में परिकल्पित किया गया है।

4.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नीति निर्माण, नियोजन, अनुसंधान और अन्य सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सतत विकास उद्देश्य सूचकांक इत्यादि के लिए राष्ट्रीय हित के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को एकत्रित, संकलित और प्रकाशित करता है ।कई पोर्टल/सॉफ्टवेयर्स/ मैनुअल सिस्टम है जो इन कार्यों को करने के लिए विघटित तरीके से मौजूद है और डेटा अधिग्रहण प्रमुख रूप से मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मौजूदा पोर्टल को बेहतर सुविधाओं के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही एनआईआईपी परियोजना के भाग के रूप में एनआईआईपी के तहत लाया जाना प्रस्तावित है।

4.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) के आंतरिक उपयोग के लिए सांख्यिकी प्रणाली के समग्र क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को भी इस परियोजना का एक हिस्सा बनाया गया है।

इस परियोजना के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों की स्थिति नीचे दी गई है:

- अधिकांश प्रभागों के लिए सिस्टम आवश्यकता अध्ययन पूरा हो गया है।
- सीपीआई एवं ओसीएमएस का पोर्टल विकास पूरा हो गया है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए परियोजन के अधीन है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट नई विशेषताओं के साथ 17 नवंबर, 2020 को शुरू की गई।
- आईआईपी का पोर्टल विकास और परीक्षण प्रगति पर है।
- ईसी 3-6 हेतु डेटा माइग्रेशन, पिछले 10 वर्षों के एनएसएस, सीपीआई, आईआईपी, एएसआई इत्यादि के कुछ सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं और एएसआई और एनएसएस (5 सर्वेक्षण) डैशबोर्ड को गो-लाइव के लिए प्रोडक्शन में रखा गया है । शेष एन एस एस अनुसूचियों का विकास प्रगति पर है और अन्य विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड विकास के विभिन्न चरणों में है।
- अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को प्रोडक्शन में तैनात किया गया है!
- विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड एनआईआईपी और एनआईएफ का विकास प्रगति पर है।
- वर्गीकरण, ऊर्जा सांख्यिकी और एनएडी-14 इकाइयों का पोर्टल विकास प्रगति पर है।
- प्रशिक्षण इकाई-6 मॉड्यूल का विकास पूरा हो चुका है और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के अधीन हैं।

4.4 राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल (एनआईआईपी), सरकारी कार्यालयों, क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों और समय में प्रशासनिक आंकड़ों के मौजूदा और भविष्य के डेटा आधारों को एकीकृत करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी आधिकारिक आंकड़ों के लिए 'वन-स्टॉप' प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है।

4.5 परियोजना (एनआईआईपी) की वास्तविक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर और कि क्या यह अब प्रचालनाधीन है, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नवत उत्तर दिया जो नीचे दिया गया है:

"एनआईआईपी एक जटिल परियोजना है जिसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विभिन्न उत्पादों के कई मॉड्यूल शामिल हैं । विकास के विभिन्न चरणों में एनआईआईपी के लगभग 37 मॉड्यूल हैं। इन चरणों में लीगेसी डेटा माइग्रेशन, प्रणाली संबंधी आवश्यकता डिज़ाइन, सॉफ़्टवेयर और संबंधित परिदृश्य/पोर्टल/डैशबोर्ड का विकास, उत्पाद का परीक्षण, उत्पादन संबंधी परिस्थिति को सक्षम बनाना , सुरक्षा ऑडिट, हितधारकों का प्रशिक्षण और चालू सेवाओं तथा पोर्टलों के लिए समर्थन शामिल है। प्रमुख उत्पादों के चरणों का ब्यौरा इस प्रकार है:

- प्रभागों के लिए प्रणाली आवश्यकता अध्ययन पूरा हो गया है।
- विगत 10 वर्षों के लिए आर्थिक गणना (ईसी 3-6) का डेटा माइग्रेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) आदि संबंधी सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं ।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दिनांक 17 नवंबर, 2020 को वेबसाइट शुरू की है ।
- केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों/पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (नस्टा) के आंतरिक उपयोग हेतु शिक्षा प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) का उत्पादन में प्रयोग किया गया है।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (5 सर्वेक्षण) के डैशबोर्ड का गो-लाइव की प्रस्तुति में प्रयोग किया गया है। शेष एनएसएस अनुसूचियों का विकास और आर्थिक गणना पूरी हो गई है।
- आईआईपी के अंतर्गत अन्य उत्पाद /मॉड्यूल विकास /जांच/प्रयोग के विभिन्न स्तरों पर है।"

4.6 राष्ट्रीय एकीकृत सूचना मंच (एनआईआईपी) की परिकल्पना आधिकारिक सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के स्वचालन और आधिकारिक सांख्यिकी के राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस (एनडीडब्ल्यूओएस) के विकास के लिए एक मंच के रूप में की गई है। एनडीडब्ल्यूओएस का उद्देश्य समरूप मेटा-डेटा के साथ सभी आधिकारिक आंकड़ों का डिजिटल कोष के रूप में विकास करना है। एनआईआईपी, एनडीडब्ल्यूओएस में संग्रहीत डेटा के आधार पर आंकड़े/ग्राफ़/चार्ट/जीआईएस विज़ुअलाइज़ेशन का वांछित सेट तैयार करने के लिए बिजली उपयोगकर्ताओं को डेटा विश्लेषण हेतु उपकरण भी प्रदान करेगा । डैशबोर्ड, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और साझा करने योग्य डेटा डाउनलोड भी सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.7 मंत्रालय से यह पूछे जाने पर कि इस परियोजना द्वारा बिना किसी समय अंतराल के वास्तविक समय वैधता डाटा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की निगरानी को सक्षम किया जाएगा ? मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

"नियमित अंतराल पर विभिन्न स्वरूपों में आर्थिक संकेतकों/तथ्यपत्रों का प्रकाशन करना भारत के नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एनआईआईपी एक उपयोगकर्ता हितैषी के तौर पर रिपोर्ट और

विज़ुअलाइज़ेशन के रूप में नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों को एक ही स्थान पर प्रकाशित करने की आवश्यकता को पूरा करेगा।एनआईआईपी मंच में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उत्पाद यथा आईआईपी, सीपीआई, राष्ट्रीय लेखा, ओसीएमएस, विभिन्न एनएसएस सर्वेक्षणों के डैशबोर्ड, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था के संकेतक आदि शामिल होंगे। वर्तमान में, 30 संकेतक संबंधित डेटा स्रोतों से संकलित किए जा रहे हैं और एमओएसपीआई की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।"

4.8 दिनांक 24.02.2022 को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते समय, सचिव, एमओएसपीआई ने मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों की सत्यनिष्ठता के मुद्दे पर निम्नलिखित मौखिक प्रस्तुति की, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

"मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा। सकल घरेलू उत्पाद और वे चीजें, मीडिया और वे वाद-विवाद इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कई बार अकादमिक बहस भी होती है, और यहां तक कि एक ही समिति के दो विशेषज्ञों में भी क्योंकि हम जो भी उत्पाद कह रहे हैं, सभी समिति, कार्य समूह और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किए जाते हैं।"

अध्याय- पांच
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) अप्रैल 2017 से राष्ट्रव्यापी रूप से आरंभ किया गया। पीएलएफएस के मुख्यत: दोहरे उद्देश्य हैं (i) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीनों के थोड़े समय के अंतराल में श्रमबल संकेतकों को मापना (ii) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और सीडब्ल्यूएस वार्षिक दोनों तरह से सभी महत्वपूर्ण श्रम शक्ति मापदंडों का अनुमान लगाना।

5.2 शहरी क्षेत्रों में पीएलएफएस के लिए घूर्णी पैनल नमूना डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है। दो साल की अवधि की घूर्णी योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए नमूना फ्रेम अपरिवर्तित रहता है। जो पैनल दो साल से उपयोग में था, उसे जुलाई, 2021 से एक अपडेटेड पैनल से बदल दिया गया है। अपडेटेड पैनल जुलाई 2023 तक अपरिवर्तित रहेगा। वर्तमान पैनल (जुलाई 2021-जून 2023) ईसिग्मा प्लेटफॉर्म में प्रगति पर है।

5.3 वर्ष 2019-20 के लिए पीएलएफएस पर वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2021 में जारी की गई थी। जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन अगस्त 2021 में जारी किया गया था, तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 के लिए पीएलएफएस का तिमाही बुलेटिन सितंबर 2021 और तिमाही में जारी किया गया था। जनवरी-मार्च 2021 तिमाही के लिए पीएलएफएस का बुलेटिन नवंबर 2021 में जारी किया गया था। जुलाई 2019- जून 2020 की अवधि के लिए पीएलएफएस के अतिरिक्त संकेतकों पर वार्षिक बुलेटिन सितंबर 2021 में जारी किया गया था।

5.4 मंत्रालय ने अपने प्रश्नों के उत्तर में पीएलएफएस पर निम्नवत लिखित कथन उपलब्ध कराया है:

"पीएलएफएस 2017 में एनएसओ द्वारा शुरू किया गया एक सतत सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के वार्षिक अनुमानों को तैयार करने में सक्षम बनाता है। पीएलएफएस से पहले, रोजगार और बेरोजगारी संकेतक वार्षिक/तिमाही रूप में उपलब्ध नहीं थे। पीएलएफएस के आधार पर, शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम बल संकेतकों का अनुमान देते हुए, सर्वेक्षण अवधि के विभिन्न तिमाहियों के अनुरूप तिमाही बुलेटिन प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान पीएलएफएस में (क) प्रवासन विवरण और घरों में अस्थायी आगंतुक (ख) कार्यरत रहने की अवधि, पिछले 365 दिनों के दौरान काम करने वालों के लिए काम न करने का कारण आदि के संबंध में कुछ अतिरिक्त सूचना एकत्रित की गई थी।

सर्वेक्षण प्रतिदर्श पद्धति का शोधन:

क. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएसएस सर्वेक्षणों में प्रतिक्रियाओं को भरने के लिए लिया गया समय लगभग 45 मिनट पर लक्षित किया जा सकता है, प्रश्नावली में कई बदलाव/संशोधन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, प्रतिवादी बोझ को कम करने और सर्वेक्षण डेटा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए डेटा संग्रह की सर्वेक्षण पद्धति में भी परिवर्तन किए गए हैं।

ख. सीएएमएस में आकांक्षी जिलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों का अनुमान तैयार करने की दृष्टि से स्तरीकरण और प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के माध्यम से प्रतिदर्श डिजाइन में आवश्यक शोधन को शामिल किया गया है।

ग. पीएलएफएस में, शहरी क्षेत्रों में एक आवर्तन पैनल प्रतिदर्श डिजाइन का उपयोग किया जाता है। इस आवर्तन पैनल योजना में शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक चयनित परिवार का चार बार दौरा किया जाता है - शुरुआत में पहली बार यात्रा

कार्यक्रम के साथ और तीन बार समय-समय पर फिर से आने के कार्यक्रम के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सर्वेक्षण अवधि की प्रत्येक तिमाही में, वार्षिक आवंटन के 25% एफएसयू को शामिल किया गया था। शहरी क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के तिमाही अनुमानों के सृजन के उद्देश्य से पहली बार एनएसओ द्वारा श्रम बल सर्वेक्षण में आवर्तन पैनल प्रतिदर्शन का उपयोग किया गया।"

5.5 दिनांक 24.02.2022 को समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ने पीएलएफएस प्रतिवेदन पर निम्नलिखित मौखिक प्रस्तुतीकरण किया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

"हां, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संबंध में कुछ मुद्दे हैं। हो सकता है, आप में से कुछ ने विलम्ब के बारे में उल्लेख किया। ये सर्वेक्षण अपेक्षाकृत नए हैं। अब यह तीन वर्ष पुराने हैं। मैं, कोई औचित्य सिद्ध नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि विलंब को कम करना होगा। वास्तव में, मेरी टीम ने कड़ी मेहनत की है और समय अंतराल की समीक्षा करने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाई है। वर्तमान नौ महीने के समय अंतराल से। हो सकता है, एक झटके में, दो महीने तक कम करना चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन चरणबद्ध तरीके से, नौ माह या सात माह में, हम निकट भविष्य में इसमें सुधार करेंगे। यह निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य है क्योंकि हमारा यह भी मानना है कि न केवल आंकड़ों की गुणवता बल्कि समयबद्धता को भी बनाए रखा जाना चाहिए ताकि यह नीति में अधिक उपयोगी हो।

पीएलएफएस के बारे में, मैंने कुछ मीडिया लेख पढे हैं जिनमें से एक नीति आयोग का लेख है। वे कहते हैं कि पीएलएफएस गुणवता उत्कृष्ट है। यह त्रैमासिक रूप से जारी किया जाता है और हम वार्षिक रूप से भी जारी करते हैं। त्रैमासिक आंकड़े केवल शहरी क्षेत्रों के संबंध में जारी किए जाते हैं। इस तिमाही आंकड़ों के लिए गुणवता का आकलन किया गया है। उन्होंने मीडिया के लेख में भी इसकी जानकारी दी। मुझे कई मौकों पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका भी मिला। मेरा इरादा उनके सुझाव लेने का था कि इस रोजगार संबंधी आंकड़ों में सुधार कैसे किया जाए। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि डेटा की गुणवता के बारे में कोई संदेह नहीं है। हम शुरुआत में, हम नौ महीने के अंतराल को कम करके कम से कम चार या पांच माह तक कर सकते हैं। फिर अगर हम लंबे समय की बात करते हैं, तो इसे सकल घरेलू उत्पाद की आवृति के साथ संरेखित करते हैं, यह काफी अच्छा होगा। मैंने इसमें सुधार करने के लिए तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार की भी प्रतिक्रिया प्राप्त की और हम इसमें सुधार कर रहे हैं।"

5.6 समिति ने यह जानना चाहा कि मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई पीएलएफएस रिपोर्ट कब जारी की गई थी। सचिव ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि:

"महोदय, हमने मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तक इसे जारी किया है।"

5.7 श्रम डेटा को बाहर रखने के लिए वैश्विक बेंचमार्क के बारे में पूछे जाने पर और यह विनिर्दिष्ट करने के लिए कि क्या इसके लिए एक वर्ष का समय लगता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ने निम्नलिखित मौखिक निवेदन किया:

"निश्चित रूप से नहीं। बेंचमार्क शायद दो माह से पांच माह के बीच एक देश से दूसरे देश तक भिन्न होता है। हम उस बेंचमार्क को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह एक वर्ष पुराना सर्वेक्षण है। हम निश्चित रूप से अब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना है।"

5.8 उन्होंने आगे कहा कि:

"हो सकता है कि अगले पंद्रह दिनों के समय में, मैं जून, *2021* को समाप्त होने वाली तिमाही जारी करूंगा, और धीरे-धीरे यह अंतराल कम हो जाएगा। धीरे-धीरे वह अंतराल कम होता जाएगा। ये सभी बैकलॉग हैं और यह हस्तगत रूप से किया गया था। जब तक मैं इसे अनुमति नहीं देता, भले ही मैं हाल ही में सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा हूं, उन्हें तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि बैकलॉग समाप्त नहीं कर दिया जाता है। यह एक समयबद्ध श्रृंखला है"।

अध्याय- छह

सातवीं आर्थिक गणना

7वीं आर्थिक गणना (ईसी) 2019-21 की अवधि के दौरान एकछत्र योजना क्षमता विकास के तहत केंद्रीय क्षेत्र उप योजना के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। आर्थिक गणना औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की कुल संख्या और भूगोल के निम्नतम स्तर पर अन्य क्रॉस-सेक्शनल मापदंडों के साथ काम करने वाले श्रमिकों की संख्या प्रदान करता है।

6.2 सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एसपीवी) को डेटा संग्रह/पर्यवेक्षण, आईटी प्लेटफॉर्म के विकास आदि के लिए प्रगणकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य सौंपा गया है। 7वीं आर्थिक गणना का क्षेत्रीय कार्य वर्ष 2019 के दौरान चरणबद्ध तरीके से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था और 31 मार्च, 2021 को (पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों को छोड़कर) पूरा किया गया था।

6.3 आर्थिक गणना में शुरू से अंत तक आईटी कार्यान्वयन ने वास्तविक समय फील्डवर्क, निगरानी, पर्यवेक्षण, वास्तविक आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्ट निर्माण/प्रसार के लिए सुविधा प्रदान की है। भविष्य के सर्वेक्षणों, प्रतिष्ठानों की निर्देशिका, आदि के लिए नमूना फ्रेम, 7वीं आर्थिक गणना परिणामों से नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों आदि को उनके साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में लाभ होने की आशा है।

6.4 समिति 7 वीं आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया में आईसीटी एप्लीकेशन के उपयोग के साथ किए गए सुधारों और प्राप्त की गई कार्यकुशलता के बारे में जानना चाहती थी, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया

"पिछली छह आर्थिक गणनाओं में, डेटा संग्रह गतिविधि कागजपत्र -आधारित अनुसूची पर की गई थी। डेटा संग्रह में डिजिटलीकरण के अभाव में; क्षेत्रीय और पर्यवेक्षण की वास्तविक समय निगरानी , डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए समवर्ती डेटा विश्लेषण और मध्य-पाठ्यक्रम सुधार आदि प्रमुख चुनौतियां थीं। उन्नत आईसीटी उपकरणों का उपयोग करते हुए, 7 $^{वीं}$ आर्थिक गणना एंड-टू-एंड डिजिटल मंच का उपयोग करके संचालित की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप इस विशाल डेटा संग्रह गतिविधि में विभिन्न सुधार हुए हैं।

विभिन्न प्रक्रियाओं के मानकीकरण और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ,अन्य बातों के साथ-साथ,दक्षता में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

i. ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से प्रगणकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें शामिल करना

ii. जिला/एसआरओ/आरओ/राज्य राजधानी/जोन/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इंटरैक्टिव एमआईएस डैशबोर्ड के माध्यम से क्षेत्रीय कार्य (जैसे जनशक्ति जुटाना, क्षेत्रीय कार्य कवरेज और कार्य पूर्ण करना, पर्यवेक्षण) की निगरानी

iii. राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र प्रतिदर्श द्वितीय स्तर का पर्यवेक्षण;

iv. समवर्ती डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके बेहतर डेटा गुणवत्ता और मध्य-पाठ्यक्रम के हस्तक्षेप

v. इंटरएक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पर उपलब्ध अनंतिम परिणामों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से निरंतर परामर्श और प्रतिक्रिया।

vi. त्वरित अंतिम रूप देने और उपयोगकर्ताओं में प्रसार के लिए डिजीटल डेटा की उपलब्धता।

कई चुनौतियों के बावजूद, 7वीं आर्थिक गणना पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों के कुछ हिस्सों को छोड़कर सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी की गई है। डेटा सत्यापन, सफाई और समापन से संबंधित गतिविधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से की जा रही हैं। मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र अखिल भारतीय परिणाम जारी करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी -राज्य मुख्य सचिव के तहत गठित) द्वारा अनंतिम परिणामों की शीघ्र जांच और अनुमोदन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।"

6.5 आवधिक आर्थिक जनगणना के संबंध में विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित साक्ष्योपरांत उत्तर दिए हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

"देश में उद्यमशीलता के विकास का आकलन करने के लिए समय-समय पर आर्थिक गणना महत्वपूर्ण है।

आर्थिक गणना (ईसी) देश में सभी प्रतिष्ठानों (विशेष रूप से घरेलू-आधारित प्रतिष्ठानों) के आर्थिक गतिविधियों, स्वामित्व पैटर्न, शामिल व्यक्तियों, वित्त के स्रोत आदि के प्रसार/समूहों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों के लिए एक अद्यतन प्रतिदर्श रूपरेखा प्रदान करने के अलावा, सातवीं आर्थिक गणना डेटाबेस से सांख्यिकीय कार्य पंजिका (एसबीआर) तैयार करने की आशा है। एसबीआर एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय उत्पाद है जिसका उपयोग केंद्र/राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए व्यावसायिक जनसांख्यिकी पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

आर्थिक गणना डेटाबेस उद्यमिता की विकासशील प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करने संबंधित कौशल आवश्यकता और रोजगार क्षमता; आदि भी उपलब्ध करा सकती है। भविष्य की आर्थिक जनगणना से एसबीआर को अद्यतन करने के साथ-साथ देश में उद्यमिता की विकसित प्रकृति को मापने की आशा है।"

भाग-II

टिप्पणियां/सिफारिशें

क्षमता विकास (सीडी) योजना

1. समिति नोट करती है कि क्षमता विकास (सीडी) शीर्ष के तहत निधियों के उपयोग में 2020-21 में 706 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) में 58.86 करोड़ रुपये और 2021-22 में 598.36 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में 440 करोड़ रुपये (73.53% की कमी) की कमी रही है। कमी के लिए मंत्रालय द्वारा बताए किए गए कारणों में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यय सीमा/प्रतिबंध/दिशा-निर्देश, कोविड 19 महामारी से उत्पन्न स्थिति, जिनमें दौरों, अधिकारियों के प्रशिक्षण, कार्यशालाएं/संगोष्ठियों में कटौती की आदि जैसे कारक शामिल हैं। तथापि, मंत्रालय द्वारा बताए गए कमी के कारणों से समिति आश्वस्त नहीं हैं। समिति मानती है कि कोविड 19 महामारी के कारण कई नियोजित गतिविधियों में कटौती हुई। तथापि, समिति महसूस करती है कि निधि के उपयोग में 73.53% की कमी के औचित्य को केवल कोविड 19 महामारी द्वारा सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, संबंधित परियोजनाओं में लगे वेंडरों द्वारा अनुमानित लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जाना, बजट परिव्यय और वास्तविक व्यय के बीच भारी अंतर को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। जबकि, परियोजनाओं के संदर्भ में क्षमता विकास के कई महत्वपूर्ण घटक हैं, भारी अव्ययित आबंटन से संकेत मिलता है कि अधिकांश परियोजनाओं को निष्क्रिय छोड़ दिया गया है जो परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित वेंडरों की निगरानी करने में मंत्रालय की विफलता की ओर भी इशारा करता है। समिति यह मानती है कि इस शीर्ष (क्षमता विकास) के अंतर्गत बजट प्रस्ताव तैयार करते समय उपर्युक्त बजटीय मानदंड लागू नहीं किए गए हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि क्षमता विकास के अंतर्गत परियोजनाओं की सूक्ष्मता से निगरानी की जाए और यह भी कि बजटीय अनुमान लगाए जाते समय यथार्थवादी मानदंड लागू किए जाएं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)

2. संसद सदस्यों को टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए विकासात्मक स्वरूप के कार्यों और उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में स्थानीय रूप से महसूस की जाने वाली

आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना सहित बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की सिफारिश करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) शुरू की गई थी। तृतीय पक्ष निगरानी एजेंसियों-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास परामर्श सेवा बैंक (एनएबीसीओएनएस) और कृषि वित्त निगम (एएफसी) लिमिटेड के अनुसार, एमपीलैड योजना एक अनूठी योजना है, जिसमें विकेंद्रीकृत विकास की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और वास्तविक परिवेश पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । इन दोनों एजेंसियों ने इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ कमियां/खामियां भी पाईं हैं जैसे कि एमपीलैड्स परिसंपत्तियों के उपयोग का विपथन, वित्तीय स्वीकृति में विलंब, कार्यों को पूरा करने में विलंब और अपात्र न्यासों/सोसाइटियों को सौंपे गए कार्य। समिति ने आगे नोट किया कि मैसर्स डेलॉयट टच तोहमत्सु इंडिया एलएल (डेलोइट) द्वारा वर्ष 2021 में किए गए तृतीय पक्ष मूल्यांकन में पाया गया कि मूल्यांकन और सत्यापित कुल परिसंपत्तियों में से, 95.9% परिसंपत्तियां कार्यात्मक पाई गईं और एमपीलैड्स के तहत तैयार की गई कुल परियोजनाओं का 95.6% टिकाऊ पाया गया। तृतीय पक्ष एजेंसियों के इन निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में, समिति को यह उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि एमपीलैड्स के अंतर्गत आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग एक बड़ी चुनौती है क्योंकि निधि जारी करने के तौर-तरीकों और योजना के कार्यान्वयन के तंत्र को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों की समीक्षा और पुनर्निधारित किए जाने की आवश्यकता है। एमपीलैड्स के मुख्य हितधारकों अर्थात् संसद सदस्यों की भूमिका केवल "कार्यों की संस्तुति तक सीमित" है। वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन (एमओएसपीआई) में पैरा 7.1 (ग) में उल्लेख किया गया है, "एमपीलैड्स के तहत, सांसदों की भूमिका कार्यों की सिफारिश करने तक ही सीमित है। तत्पश्चात्, यह जिला प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को स्वीकृत, निष्पादित और पूरा करे।" समिति का विचार है कि जब तक एमपीलैड के दिशा-निर्देशों को सुग्राही नहीं बनाया जाता है, तब तक एमपीलैड योजना के तहत इष्टतम निधि जारी करना और परियोजनाओं का कार्यान्वयन लगातार पिछड सकता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला प्राधिकरण पर अत्यधिक रूप से निर्भर बहुधा एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं के लिए एक बाधा बनता है। इस विशिष्ट मुद्दे पर मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में यह भी बताया है कि *"जिला प्राधिकरणों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र,*

अनंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र जैसे अपेक्षित निधि संबंधी दस्तावेजों को विलंब से प्रस्तुत करने से लंबित किस्तों को जारी किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।' समिति यह उल्लेख करना भी उचित समझती है कि यद्यपि जिला प्राधिकरण को एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं के लिए 2% प्रशासनिक प्रभार प्राप्त होता है, फिर भी निधियों को जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर उनसे प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह इस तरह के प्रशासनिक विलंब को दूर करे और जब एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जाता है तो इस संबंध में संसद सदस्यों के सुझावों पर भी विचार किया जाए।

राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल (एनआईआईपी)

3. समिति यह नोट करती है कि राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल (एनआईआईपी) को प्रशासनिक सांख्यिकी के मौजूदा और भावी डेटा आधारों को एकीकृत करने और सभी सरकारी कार्यालयों/क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों और समय में डेटा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी आधिकारिक आंकड़ों के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय ने अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में समिति को सूचित किया कि एनआईआईपी एक जटिल परियोजना है जिसमें एमओएसपीआई के विभिन्न उत्पादों के अनेकानेक मॉड्यूल हैं। विकास के विभिन्न चरणों में एनआईआईपी के लगभग 37 मॉड्यूल हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वाले एमओएसपीआई के मौजूदा पोर्टल को बेहतर विशेषताओं के साथ वर्तमान में एमओएसपीआई द्वारा कार्यान्वित की जा रही एनआईआईपी परियोजना के एक भाग के रूप में एनआईआईपी के तहत लाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह चालू एनआईआईपी डिजाइन को जल्द से जल्द पूरा करे और इसे विश्व बैंक तथा आईएमएफ के पोर्टल आदि जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनों के समतुल्य बनाए।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

4. मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से, समिति नोट करती है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) एनएसओ द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया एक सतत सर्वेक्षण है और यह सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के वार्षिक अनुमानों के सृजन को संभव बनाता है। तथापि, समिति पीएलएफएस पर प्रतिवेदन जारी

करने में लगे लंबे समय अंतराल को नोट करके आश्चर्यचकित है। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन अगस्त 2021 में अक्तूबर-दिसंबर, 2020 तिमाही के लिए, सितंबर 2021; और इसी प्रकार जनवरी-मार्च 2021 के लिए, नवंबर, 2021 में जारी किया गया था। सचिव, एमओएसपीआई ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय पीएलएफएस रिपोर्ट में समय-अंतराल को स्वीकार किया है। समिति चाहती है कि पीएलएफएस द्वारा प्रदान किए गए रोजगार संबंधी आंकड़े, महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में से एक होने के नाते, नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें आवधिक रूप से देर किए बिना तैयार किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने प्रयासों को गति देकर पीएलएफएस प्रतिवेदन में लगने वाले समय-अंतराल को कम करे।

आर्थिक जनगणना

5. समिति यह मानती है कि आर्थिक जनगणना (ईसी) देश के सभी प्रतिष्ठानों के आर्थिक कार्यकलापों के प्रसार/समूहों, स्वामित्व पैटर्न, वित्त के स्रोत आदि के बारे में बहुमूल्य इनसाइट प्रदान करती है। वर्ष 2019 में शुरू की गई सातवीं आर्थिक जनगणना के बारे में, मंत्रालय ने सूचित किया कि "सातवीं आर्थिक जनगणना, एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का उन्नत आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके सम्पन्न की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप इस वृहद डेटा संग्रह क्रियाकलापों में विभिन्न सुधार हुए हैं"। मंत्रालय ने आगे बताया कि "अनेक चुनौतियों के बावजूद, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सातवीं आर्थिक जनगणना (ईसी) का 'फील्ड वर्क' पूरा कर लिया गया है"। समिति यह उल्लेख करना उचित समझती है कि सातवीं ईसी ने जनगणना को पूरा करने में 3 वर्ष से अधिक का समय लिया है और इससे हितधारकों द्वारा मानदंड के रूप में उपयोग किए जाने के लिए कुछ मदों/नमूनों के आंकड़े अप्रासंगिक या पुराने हो जाएंगे। इसलिए, समिति यह आशा करती है कि मंत्रालय आर्थिक जनगणना को बिना किसी विलम्ब के जारी करे अन्यथा आंकड़े निष्फल हो जाएंगे।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1942 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22)की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 14 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री गोपाल शेट्टी
10. श्री मनीष तिवारी
11. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

12. श्री सुशील कुमार मोदी
13. श्री ए. नवनीतकृष्णन
14. श्री प्रफुल्ल पटेल
15. डॉ. अमर पटनायक
16. श्री महेश पोद्दार
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया:-

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह चालीसवां प्रतिवेदन

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह इकतालीसवां प्रतिवेदन

(तीन) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह बयालीसवाँ प्रतिवेदन

(चार) योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह तैंतालीसवां प्रतिवेदन

(पांच) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन

3. समिति ने कुछ चर्चा के पश्चात् अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में चालीस से चवालीस प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सभा में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया। समिति ने 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021' पर प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करना स्थगित कर दिया, क्योंकि सदस्यों ने विधेयक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कुछ और समय मांगा।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।